

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ :दिनांक : 12 फरवरी, 2015

विषय:- राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक स्वीकृत किये गये समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0)/समयमान वेतनमान की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3(2) के नीचे प्रस्तर-3(2क) को निम्नवत् जोड़ा जाता है :--

(2क) "प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम् 06 माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/ कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथास्थिति पद के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथास्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।"

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तर-3(3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
:--

"वेतन बैंड रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- तथा इससे उच्च वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर-2 एवं 2क में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी"

4- शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

पृष्ठानक संख्या-6/2015/वे0आ0-2-123(1)/दस-62(एम)/2008टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-1 एवं 11 तथा आडिट। एवं 11, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग की वेब साइट पर डालने हेतु।
- 11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।